

परियोजना के वन क्षेत्र / वन भूमि में स्थापित करने का औचित्य


प्रमाणित किया जाता है कि रेनुकूट वनप्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत ग्राम ककरी में ककरी कोयला परियोजना को भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-350/87-एफ.सी. दिनांक- 30.05.1989 एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन का आदेश संख्या- एल0 598/14-3-1989, दिनांक- 22.12.1989 द्वारा 185.84 हे0 वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक- 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है। उक्त लीज पर दी गयी 185.84 हे0 वन भूमि की पुनः 20 वर्षों के लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। ककरी कोयला परियोजना का कोयला धारक क्षेत्र अपेक्षित वन भूमि के भीतर स्थित है। अतः कोयला उत्पादन बनाये रखने हेतु यह वन भूमि आवश्यक है। परियोजना पूर्व से अन्य कोई विकल्प न होने के कारण वन क्षेत्र में स्थापित है।

हस्ताक्षर




प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
खेन्ना (उ0प्र0)

(एल0पी0 गोडसे)


General Manager
K. J. J.

महाप्रबंधक-ककरी परियोजना
पता-महाप्रबंधक कार्यालय
ककरी परियोजना, पोस्ट-ककरी,
जिला-सोनभद्र (उ0प्र0)